

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती रामू बनाम अंकार लाल (पत्नी)

किस्म मुकदमा प्री०५३ 111-12७ नं० 120 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तानील नै जारी हुए
2-8-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 21-9-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल	
21/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभियोगद्वारा न्यायिक काम समाप्त कर रखने से पत्रावली दिनांक 26/9/23 को पेश हो।	
26/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभियोगद्वारा न्यायिक काम समाप्त कर रखने से पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो।	
29/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभियोगद्वारा न्यायिक काम समाप्त कर रखने से पत्रावली दिनांक 17/10/23 को पेश हो।	
17/10/23	पत्रावली पेश हुई कौल प्रार्थना उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद नामिल होकर जाद हुए जिले भाग को किये गये। विपक्षीगण को कितनी कारकड-कककर भागले कियामे जाणे के बाद भी उपस्थित नही, इनके कितने सब तरफा कार्यवाही किये जाने के अडिग डिमे जाते हैं। कौल प्रार्थना का अर्चना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथक से लिखा जाकर शाण्ड किया गया। पत्रावली फलल शुमार होकर नम्बर से दम हो।	उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला नीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 120/23 प्रा.पग

1- श्रीमती रामू पौ० श्री कजोड़ गाडरी निवासी-चतरपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री अंकारलाल ड।० श्री भीमा गाडरी निवासी-चतरपुरा तहसील-माण्डल (वैरा)
(सहोदर भा.पग.सलेग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक- 17-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चतरपुरा पटवार हल्का भाड़ तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 2009, 2010, 2691 कुल कित्ता 03 रकबा 1.9096 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी गुरादायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-08-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का भाड़ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2009, 2010, 2691/200 कुल कित्ता 03 रकबा 1.9096 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लु.हरिया को 1000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौक व कब्जे की रक्षास्थिति को बनाये रखते हुए नुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा